



कार्यालय      पुलिस      उपायुक्त,      काशी      ज़ोन,      पुलिस      कमिश्नरेट      वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 12/01/2026

**विषय:-थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा चोरी के 153 टीन रिफाइंड आयल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार चोरी का सामान बरामद ।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व थानाध्यक्ष जैतपुरा के नेतृत्व में थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-10/2026 धारा-305(a), 317(2) B.N.S. थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत मौर्या पुत्र स्व0 शशिकान्त मौर्या निवासी SA19/144 दीनदायालपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 12/01/2026 को बिछुआनाथ अखाड़ा ढेलविरया वरुणा नदी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर रसूलगढ़ सलारपुर चोरी के 153 टीन रिफाइंड आयल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** दिनांक 11/01/2026 को वादी मुकदमा जो रिफाइंड तेल के व्यवसायी है के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उन्होंने देशी शराब की दुकान के पास उनका एक गोदाम जिसमें वह अपना रिफाइंड ऑयल रखते हैं। दिनांक 09.01.2026 को देखा तो पता चला कि उनका 153 टीन रिफाइंड तेल गायब था। उक्त चोरी की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 11/01/2026 को थाना जैतपुरा पर मु0अ0सं0-010/206 धारा- 305(a) BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी सूचना पर तत्काल सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज महोदय द्वारा थानाध्यक्ष जैतपुरा उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम गठन किया गया तथा गहनता से सुरागरसी पतारसी व सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 12/01/2026 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित चोर को बिछुआनाथ अखाड़ा ढेलविरया वरुणा नदी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी में उसके पहने हुए पैण्ट की जेब से कुल 340/- रुपये व एक एण्ड्रायड मोबाइल ओप्पो फोन व एक गोदाम की डुप्लीकेट चाभी बरामद हुआ। चोरी हुए रिफाइंड तेल के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं अपने पूर्व मालिक के यहाँ रिफाइंड तेल, गोदाम में रखने व निकालने का काम करता था। मेरे मन में लालच आ जाने के कारण मैंने गोदाम की डुप्लीकेट चाभी बनवा कर रख लिया था। दिनांक 09/01/2026 की भोर लगभग 2.30 बजे पहडिया मण्डी से किराये की गाड़ी व मजदूर को साथ लेकर मैंने गोदाम से रिफाइंड तेल की टीनों को निकालकर उसे रसूलगढ़ सलारपुर में बाद में बेचने के लिए रख दिया। उसकी निशानदेही पर चोरी के कुल 153 अदद रिफाइंड तेल की टीन को रसूलगढ़ सलारपुर से बरामद किया। कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 12/01/2026 अभियुक्त इन्द्रजीत मौर्या पुत्र स्व0 शशिकान्त मौर्या निवासी SA19/144 दीनदायालपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-** इन्द्रजीत मौर्या पुत्र स्व0 शशिकान्त मौर्या निवासी SA19/144 दीनदायालपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष।

**गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-** दिनांक- 12/01/2026 को, स्थान- बिछुआनाथ अखाड़ा ढेलविरया वरुणा नदी के पास से।

**बरामदगी का विवरण-** 153 टीन रिफाइन्ड तेल निशानदेही पर बरामद व एक डुप्लिकेट चाभी व 340/- रुपये जामा तलाशी में बरामद।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0- 010/2026 धारा 305(a), 317(2) B.N.S.थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0- 418/2019 धारा 380, 427 I.P.C.थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0- 508/2019 धारा 401 I.P.C.थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी।

**गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री प्रशान्त शिवहरे, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 कपिलदेव यादव, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 कुलदीप सिंह, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 अमित मिश्रा, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 विपिन मिश्रा, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 अश्वनी सिंह, सर्विलांश सेल, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त काशी जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी